(14)

विलोपित विलोपित

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

निगरानी-4662/2018/सीधी/भू.रा.

प्रकरण क्रमांक /२०१८ निगरानी

सतीष कुमार लोनियां पुत्र राजबहोर लोनियां,
निवासी- ग्राम- पटेहरा, तेहसील रामपुर नैकिन,
जिला सीधी- मध्यप्रदेश ।

-------- प्रार्थी

बिरुद्ध

अमित कुमार गुप्ता पुत्र दामोदर प्रसाद गुप्ता,
निवासी ग्राम पटेहरा, तेहसील रामपुर नैकिन,
जिला सीधी-मध्यप्रदेश।

------ प्रतिप्रार्थी

निगरानी बिरुद्ध आदेश एस०डी०ओ० महोदय चुरहट । रामपुर नैकिन दिनांक १८-६-१८ अन्तर्गत धारा ५० मध्यप्रदेशभू-राजस्व संहिता, १९५९। प्र०क्र० ३७।१६-१७ अपील ।

श्रीमान् जी,

निगरानी का प्रार्थना पत्र निम्न आधारोंपर प्रस्तुत है :-

१- यह कि, एस०डी०ओ० महोदय की आज्ञा कानूनन सही नहीं है ।

२- यह कि, एस०डी०ओ० महोदय ने प्रकरण के स्वरूप एंव कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा है ।

३- यह कि, एस०डी०ओ० महोदयने प्रारम्भिक न्यायालय को प्रकरण प्रत्यावर्तित किये जाने में भूल की है ।

४- यह कि, विवादित आदेश पारित किये जाने मे एस०डी०ओ० महोदय ने धारा ४९ के प्रावधानोंपर कोई विचार नहीं किया । धारा ४९ के प्रावधानों केअनुसार अपीलीय न्यायालय व्दारा प्रकरण प्रत्यावर्तित किये जाने का स्पष्ट वर्जन होने से एस०डी०ओ०

प्रकरण क्र० 17-7-18
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 9-8-18 नियत।
17-7-18
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-4662/2018/सीधी/भू.रा. सतीश विरूद्ध अमित

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01-03-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह अनुविभागीय अधिकारी चुरहट जिला सीधी के प्रकरण क्रमांक 37/अपील/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 18-06-2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर सीधी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 02-05-2019 को कलेक्टर सीधी के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (आर.के. जैन) 01.3.19 सदस्य	